

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1510] No. 1510] नई दिल्ली, मंगलवार, **मई** 7, 2019/वैशाख 17, 1941

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 7, 2019/VAISAKHA 17, 1941

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 2019

का.आ. 1699(अ).—केंद्रीय सरकार, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना सं. 2693(अ) तारीख 5 सितंबर, 2013 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिसूचना" कहा गया है) में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

मूल अधिसूचना में,--

(i) सारणी 1 में, क्रम सं. 25 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"26	डीडी अरुणप्रभा	साधारण मनोरंजन" ;

[फा.सं. एन-36016/02/2019-बीपीएंडएल]

अतुल कुमार तिवारी, अपर सचिव

पाद टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 2693(अ) तारीख 5 सितंबर, 2013 द्वारा प्रकाशित की गई थी और का.आ. सं. 1388(अ) तारीख 25 मई, 2015 द्वारा संशोधित की गई थी।

2373 GI/2019 (1)

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th May, 2019

S.O. 1699(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting, number S.O. 2693(E), dated the 5th September, 2013 (hereinafter referred to as "the principal notification"), namely:—

In the principal notification, —

(i) in Table-I, after serial number 25 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: —

20 DD Arunpraona General Entertainment,	"26	DD Arunprabha	General Entertainment";
---	-----	---------------	-------------------------

[F.No. N-36016/2/2019-BP&L]

ATUL KUMAR TIWARI, Addl. Secy.

Footnote: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 2693(E), dated the 5th September, 2013 and was subsequently amended *vide* number S.O. 1388(E), dated the 25th May, 2015.